Sudarshan Research Journal
Volume – 1, Issue - 6, October-2023
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की भूमिका

Dr. Amit Bhardwaj
Assistant Professor, Department of Journalism and Mass Communication,
Govt. Post Graduate Nehru College, Jhajjar, Haryana

I. संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था

लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है: 'डेमोस'-जनता और 'क्रेटास'-शक्ति। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है - जनता की सरकार अथवा वह शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास हो (कश्यप एवं गुप्त: राजनीति कोश, 1998: 92)। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव समानता तथा मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना सम्मिलित है। लोकतंत्र में जनता अपनी भाग्य-विधाता स्वयं होती है। कोई भी शासक स्थायी नहीं होता। शासन करने का अधिकार चुनाव के दौरान दिया जाता है तो आगामी चुनाव में वापस भी लिया जा सकता है। लोकतंत्र में मानवीय मूल्यों को सर्वाधिक महत्त्व मिलता है। स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, सर्वसम्मति, बहुमत, बंधुता एवं न्याय जैसे मूल्यों की सुरक्षा लोकतंत्र में ही संभव है।

भारत के संविधन की उद्देशिका के प्रथम चार शब्द 'हम भारत के लोग', लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्च प्रभुसत्ता की घोषणा करते हैं। अपनी इस प्रभुसत्ता का प्रयोग करके जनता सभा को निर्वाचित करती है, जिसके प्रतिनिधि जनता की ओर से राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करके शासन चलाते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा का अस्तित्व अनिवार्य है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था को 'संसद' कहा जाता है।

संसद की अवधारणा और संस्था का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है पर प्राचीन काल में ही सामुदायिक प्रबंधन का आदिम स्वरूप उभरने लगा था। प्राचीन भारत में 'सभा-समिति' और उत्तर भारत के गणतंत्र अनुभवी शक्तिशाली और वरिष्ठ लोगों द्वारा शासन-प्रशासन-प्रबंधन की सूचना देते हैं। राजतंत्र मान्य और स्वीकृत शासन व्यवस्था हो गया। राजा और प्रतिनिधि-सभा के बीच द्वन्द्व से ही क्रांतियाँ जन्मीं और राजतंत्र पर पार्लियामेंट का निर्णायक अंकुश लगा। (वर्मा, 2007)

संसदीय लोकतंत्र में विधयिका तथा कार्यपालिका का गहन संबंध होता है। विधायिका प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन नहीं करती। कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद् के रूप में विधायिका का ही भाग होती है, जिसे शासन का दायित्व सौंपा

जाता है। विधायिका का कार्य नीति-निर्माण तथा शासन नियंत्रण का होता है जबकि कार्यपालिका नीतियों तथा कानूनों को क्रियान्वित करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के माध्यम से ही जनता सरकार को किसी कार्य के लिए उत्तरदायी ठहरा सकती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही संसदीय शासन प्रणाली के मूल सिद्धान्तों में से एक है। सुभाष कश्यप (2006: 18) के शब्दों में, "संसद को सर्वोपरि यह देखना होता है कि लोगों की जिन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिपादन इसके सदनों में किया जाता है, उनकी यथासंभव उत्तम रीति से पूर्ति हो। संसद राष्ट्र की जांच-पड़ताल करने वाली एवं प्रहरी महान संस्था के रूप में कार्य करती है।"

कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा एवं आलोचना में सत्ता पक्ष के अतिरिक्त विपक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। विपक्ष सरकार का शत्रु नहीं होता अपितु उसका कार्य सरकार को समय पर सजग करने का होता है। रचनात्मक विरोध विपक्ष का अधिकार एवं दायित्व होता है, जिसके तहत वह सरकारी तंत्र की कमियों को सप्रमाण प्रकाश में लाता है। सार्वजनिक हित के मुद्दों पर सरकार को रचनात्मक सहयोग देने का कार्य भी विपक्ष का होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सदन का बहुमत खो देने की स्थिति में वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए प्रयास करना भी इसका कार्य है। विधानमंडलों के सदन से बेहतर अन्य कोई मंच विपक्ष को उपलब्ध नहीं होता। यहीं पर प्रश्नों, कार्य स्थगन, ध्यानाकर्षण, अविश्वास प्रस्ताव तथा अन्य विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष की आलोचना की जाती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक तरीकों से स्वस्थ आलोचना द्वारा स्वयं सजग रहकर, सरकार की कमियों के बारे में उसका ध्यान आकर्षित करना तथा जनता को सचेत करने का दायित्व विपक्ष का होता है।

वस्तुतः विधानमंडलों की कार्यप्रणाली का मुख्य उद्देश्य जनहितार्थ कार्य करना है। अतः इनकी छवि तथा विश्वसनीयता संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से अच्छी होनी चाहिए। विधानमंडल जनप्रतिनिधियों का एक मंच है, जो जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता तथा जनप्रतिनिधियों के मध्य सक्रिय संवाद कैसे होता है? वह माध्यम है- प्रेस।

II. संसदीय लोकतंत्र तथा प्रेस

लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के समान प्रेस भी सरकार की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त प्रेस का दायित्व लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों की निगरानी करना भी है। थामस जेपफरसन ने यह कहा था कि यदि उन्हें 'समाचार पत्र रहित सरकार' और 'सरकार रहित समाचार पत्र' में से एक को चुनना होता तो उन्हें समाचार पत्र

Sudarshan Research Journal
Volume – 1, Issue - 6, October-2023
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

को चुनने में कोई संकोच नहीं होता। वहीं वाल्टर लिपमैन ने समाचार पत्र को लोकतंत्र की ऐसी उदारचरित 'बाइबिल' की संज्ञा दी जिससे लोग अपना आचरण निर्धारित करते हैं। वस्तुतः प्रजातंत्र की आधरभूत आवश्यकता जागरूक जनमत है और जनता को राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जागृत करने का कार्य प्रेस के हाथों में ही है। जनता की आवाज के रूप में प्रेस जनहितों, अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अतः इसे सही अर्थों में लोकतंत्र का 'चौथा स्तंभ' कहा गया है, जबकि संविधन में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

121 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में मात्र 4500 जनप्रतिनिध्यिों के हाथों में पूरे देश की प्रगति का दायित्व है। लोकतंत्र की आवश्यक शर्त 'सहभागिता' को पूरा करने के लिए यह विषम अनुपात है क्योंकि चुनिंदा लोग विशाल जनसमुदाय के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। जनता तथा जनप्रतिनिधियों की परस्पर सहभागिता एवं सहयोग के बिना लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध है। प्रेस ही ऐसा माध्यम है जो इन दोनों के मध्य 'सेतु' का कार्य करता है।

जनमत लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। स्वस्थ एवं प्रभावी जनमत से लोकतंत्र को गति मिलती है तथा जनसहभागिता लोकतंत्र की ऊर्जा है। विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों एवं समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा लेखों, सेमिनारों तथा चर्चाओं इत्यादि से प्रेस के माध्यम से व्यक्त किए गए विचारों से जनप्रतिनिधि और जनता, दोनों प्रभावित होते हैं। जनसहभागिता की मात्रा जितनी अधिक होगी, लोकतंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। "मैककाम्स और शा ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया कि संपादक, टीवी प्रसारणकर्मी और पत्रकार खास तरह से खबरें चुनते हैं और उसे दिखाते हैं, जिसकी जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। खबर में कितनी जानकारी दी गई है और उसे कितने महत्त्वपूर्ण तरीके से पेश किया गया है, इससे पाठक न सिर्फ बताए गए मुद्दों के बारे में जानता है बल्कि यह भी तय करता है कि मुद्दे को कितना महत्त्व देना है। यद्यपि 1922 में वाल्टर लिपमैन ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि मास मीडिया छवियों के सहारे लोगों की राय बनाता है" (मंडल, 2011:19)। अब्राहम लिंकन की ऐतिहासिक उक्ति 'लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है' का विश्लेषण करें तो यह अर्थ निकलता है कि लोकतंत्र की सफलता या असफलता जनता पर निर्भर है। जितनी सक्रिय सहभागिता होगी, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा।

मीडिया जनता को जानकारी देकर एवं जागरूक करके सहभागिता के दायरे को बढ़ाता है। प्रेस जनमत एवं जनसमस्याओं के प्रति जनप्रतिनिध्यिों का ध्यान आकर्षित करती है तो दूसरी ओर सरकार की नीतियों, कार्य प्रणाली, उपलब्धियों तथा कमियों के बारे में जनता को अवगत कराती है। जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल का वास्तविक लेखा-जोखा प्रेस के माध्यम से ही जनता के समक्ष आता है। इससे जनता को चुनाव के दौरान सही प्रतिनिधि चुनने में सहायता मिलती है।

Sudarshan Research Journal
Volume – 1, Issue - 6, October-2023
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

अतः गतिशील लोकतंत्र तथा सुशासन के लिए प्रेस का अस्तित्व अनिवार्य है। सजग, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष प्रेस से ही किसी देश का लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रेस का सामाजिक उत्तदायित्व बहुत गहन है। जनप्रतिनिधियों तक जनसमस्याओं को पहुँचाने तथा जनता के सामने जनप्रतिनिधियों की उपलब्धियों एवं विफलताओं के प्रस्तुतीकरण में सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता तथा सक्रिय भूमिका की आवश्यकता पड़ती है। प्रजातंत्र को स्वस्थ एवं गतिवान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेस सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करे। प्रजातंत्र में प्रेस पर यह देखने का उत्तरदायित्व है कि जनप्रतिनिधि, जनता के वास्तविक हितों में उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ़ प्रेस परिषद की इस्तांबुल (तुर्की) में सितम्बर 1998 में हुई बैठक में घोषणा की गई कि: "प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पत्रकारों, संपादकों या मीडिया मालिकों की स्वतंत्रता नहीं है। बल्कि यह सभी नागरिकों को लोकहित के विषयों पर सब कुछ जानने का अधिकार है। स्वतंत्र प्रेस का यह भी मतलब है कि वह इस अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करेगा। प्रेस को सरकार के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।" (मंडल, 2011: 21)

वस्तुतः आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु का कार्य करके प्रेस आधुनिक सरकार के तंत्र का ही एक हिस्सा बन जाती है तथा जनसेवा का कार्य भी करती है।इस तथ्य के समर्थन में यह तर्क भी दिया जा सकता है कि संसद एवं विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्ट से प्रेस के कारण ही इन लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि जनता के मध्य बनती है। विधानमंडलों में संचालित होने वाली अधिकांश कार्यवाहियां भी समाचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित तथा प्रसारित की जाने वाली सामग्री पर आधारित होने लगी हैं। विधानमंडलों की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल, प्रस्तावों एवं विभिन्न मुद्दों पर बहस के लिए 'कच्चा माल' भी जनप्रतिनिधियों को प्रेस से ही उपलब्ध होता है।

अतः संसदीय व्यवस्था में प्रेस गहन सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ निम्नलिखित भूमिकाएँ निभाती हैः

(क) लोकतंत्र का सजग प्रहरी
(ख) जनमत-निर्माण में सहायक
(ग) जनसहभागिता के दायरे में वृद्धि
(घ) विधानमंडलों का छवि निर्माण
(ङ) विधानमंडलों में चर्चा हेतु आवश्यक सामग्री प्रदाता

संसदीय लोकतंत्र में प्रेस का प्रमुख कार्य विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्ट करना है। प्रेस, विधायी चर्चा के सार को जनता तक पहुँचाती है। इससे लोगों को पता लगता है कि उनके प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में बैठकर क्या कर रहे हैं।

Sudarshan Research Journal
Volume – 1, Issue - 6, October-2023
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

III. प्रेस कवरेज

प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज के प्रबुद्ध नागरिक विधायी कवरेज में पर्याप्त रूचि रखते हैं। विधायी कवरेज के माध्यम से ही विधायी कार्यों और चर्चाओं के सारतत्व की जानकारी जनता तक पहुँचती है। जब किसी विधानमंडल का सदस्य सदन को संबोधित करता है तो वह वास्तव में सदन के अतिरिक्त अपने क्षेत्र के मतदाताओं को भी संबोधित करता हुआ माना जा सकता है। प्रेस सदन के सदस्यों तथा उनके मतदाताओं के मध्य संपर्क सूत्र स्थापित करती है।

विधायी कार्यवाही की कवरेज जितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इसके लिए विशेष अनुभव, परिश्रम, सतर्कता और विशाल जानकारी आवश्यक है। प्रश्नकाल, विधायी कार्यवाही का प्रारंभिक किन्तु अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथा रोचक भाग होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से ही विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और उस पर अंकुश भी लगा सकती है। कार्यपालिका से विधायिका तक तथा विधायिका से लोगों तक सूचना के प्रवाह को संचालित करने में प्रश्नकाल का अत्यधिक योगदान है।

विधायी कार्यवाही की रिपोर्ट वस्तुतः निर्धारित समय में तीव्रतापूर्वक लेखन कार्य है। एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की तरह निष्पक्षतापूर्वक घटनाओं का अवलोकन एवं अनुभव करना पड़ता है। विधायी रिपोर्ट संतुलित और निष्पक्ष होनी चाहिए।

वास्तव में विधायी कार्यवाही की रिपोर्ट अत्यधिक सावधानी की मांग करती है। पत्रकार को न केवल कार्यवाही में भाग लेने वाले सदस्यों की सही पहचान और उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही सबके वक्तव्यों को शब्दो बिना हेरफेर के तत्परतापूर्वक लिखना भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह एक साथ कई आयामों को पकड़ने का कार्य भी है। साथ ही उनके सही लेखन और समुचित स्थान सहित प्रकाशन की चुनौती भी। इसके बावजूद यह नहीं भूलना चाहिए कि 'पत्रकार काफी भाग्यशाली हैं जिनकी पहुँच प्रेस गैलरी तक है। यहाँ तक कि जब रिपोर्ट नहीं भी करनी होती है और हम उन बहसों को सुन भर रहे होते हैं तो अपने आपको समृद्ध करते हैं।' (चटर्जी: 2006ः28)

इस प्रकार संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व तथा विचार-विमर्श पर आधारित है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति संसद तथा विधानमंडलों के पास है। संसदीय लोकतंत्र में प्रेस न केवल शासन व्यवस्था की निगरानी करती है अपितु जनता और जनप्रतिनिधियों के मध्य सेतु कार्य भी करती है। विधानमंडलों की कार्यवाही की प्रेस कवरेज से ही जनता को यह पता लगता है कि उसके प्रतिनिधि इन सदनों में किस प्रकार जनहितार्थ कार्य करते हैं। विधायी कवरेज के परिदृश्य में काफी परिवर्तन आया है और अब ऐसे उदाहरण मिलने लगे हैं जो विधायी कवरेज की वर्तमान स्थिति पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की सर्वोच्च तथा अंतिम शक्ति संसद तथा विधानमंडलों में निहित होती है। इनकी निगरानी करना तथा जनतंत्र को वास्तविक रूप से अर्थपूर्ण बनाना प्रेस का कार्य है। प्रेस के माध्यम से ही जनता की आकांक्षाएं तथा समस्याएँ विधानमंडल तक पहुंचती हैं और विधानमंडल की नीतियों तथा योजनाओं की जानकारी जनता को मिलती है। विधानमंडलीय कार्यवाही से जनता का भाग्य निर्धारित होता है। संसद तथा विधानमंडलों के सदनों को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहाँ जनप्रतिनिधि नीति निर्धारित करते हैं, जिन पर जनता का भविष्य आश्रित है। विधायी कार्यवाही के दौरान जनप्रतिनिधि विधानमंडलों में किस प्रकार अपने कत्र्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यह जानना जनता का अधिकार है। जनता को इस संबंध में जानकारी देने का दायित्व प्रेस का हैं विधायी कार्यवाही की कवरेज से प्रेस विधानमंडलीय कार्यवाही को जनता तक पहुंचाती है। विधायी कवरेज के परिदृश्य की समीक्षा की जाए तो इसकी स्थिति चिंताजनक है और कवरेज का स्तर विशेषकर पिछले एक दशक के दौरान गिर गया है।

IV. सन्दर्भ

I. इन्दौरिया, नर्बदा (2002): विधानसभा और मीडिया की भूमिका: विधान बोधनी: जनवरी-अप्रैल 2002: जयपुर: राजस्थान विधानसभा सचिवालय
II. उपाध्याय, देवेन्द्र (2008): भारतीय संसद और मीडिया: नई दिल्ली: भारतीय पुस्तक परिषद
III. कश्यप, सुभाष (1998): संसदीय लोकतंत्र का इतिहास: दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय
IV. कश्यप, सुभाष एवं गुप्त, विश्वप्रकाश (1998): राजनीति कोश: दिल्ली: हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय
V. कुमार, विमल (2008): मीडिया और संसद: मीडिया, अंक 5: नई दिल्ली: केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
VI. सिंह, शान्तिस्वरूप (2004): प्रेस और भारतीय संसद: नई दिल्ली: क्लासिकल पब्लिशिंग